न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दांता रामगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीशप्रसाद गौड़ R.A.S

आवेदन सं. 270/013

1. मेघराज
2. भागीरथ
3. बाबूलाल

} पुत्रगण रामरतन

4. मुन्नी देवी धर्म पत्नि अरूण कुमार
5. संजु देवी धर्म पत्नि मनोहर लाल
6. किरण देवी धर्म पत्नि अनिल कुमार

समस्त जाति रेजारा (कुमावत) निवासीगण दांता तहसील दांता-रामगढ़ जिला सीकर

आवेदकगण

बनाम

1. रामनिवास कुमावत पुत्र सांवलो राम जाति कुमावत निवासी देवरोड़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझनूं
2. उप पंजियक दांता रामगढ़ जिला सीकर
3. तहसीलदार तहसील दांता रामगढ़
4. पटवारी हल्का दांता तहसील दांता रामगढ़

अनावेदकगण

आवेदन अं. धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:- (1) वकील श्री भगवाल सिंह आवेदकगण की ओर से
(2) वकील श्री सी. एम. शर्मा अनावेदकगण की ओर से

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़(सीकर)

प्रमेय दिनांक 8-1...

आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं :- जमा-

के अनुसार विवादग्रस्त भूमि खसरा नं 1500 रकबा

0.10 है, 1501 रकबा 0.01 है, 1502 रकबा 0.03 है,

1503 रकबा 3.65 है कुल किता 4 कुल रकबा

3.65 है ग्राम दांता में स्थित है विवादित भूमि

पर आवेदकगण एवं धर्मेन्द्र कुमार तथा स्वर्गीय रामरतन

के अन्य वारिसान संयुक्त रूप से काबिज होकर

काश्त करते आ रहे हैं। पक्षकारान के मध्य आपसी

विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित भूमि

के हिस्सा 1/6 का खाता नन्दलाल पुत्र रामरतन

का चलता आ रहा था। जिसकी मृत्यु के पश्चात

उसकी पुत्री पूजा का नाम विधिक वारिस होने

के बावजूद अंकित नहीं किया गया। उसके पुत्र

संदीप कुमार, प्रमोद कुमार नाबालिग हैं, उनको अपने

हिस्से से वंचित रखने की नियत से अनावेदक

सं. 1 ने मृतक नन्दलाल की पत्नि मंजू देवी

तथा पुत्र पवन कुमार से साजिश रचकर

विक्रय पत्र अपने हक में दिनांक 29/5/2013 को

निष्पादन करवा लिया जो अवैध, शून्य व प्रभाव-

हीन है। विक्रय पत्र के तहत प्रतिफल का आदान

प्रदान नहीं हुआ इसलिए प्रभावहीन है। अप्रार्थी

संख्या -1 को विवादग्रस्त भूमियों के किसी भाग

का कब्जा भी नहीं संभलाया गया तथा

जारी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़ (सीकर)

Scanned with CamScanner

नही बदला से कल्याण जाना संभव है। अनावेदक संख्या एक वादग्रस्त भूमियों में अपना नामान्तकरण खुलवाकर वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र हस्तान्तरित करने व मनमाना बलात कब्जा करने की उपेक्षा में है अतः अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि विवादग्रस्त भूमियों का विक्रय पत्र दि० 22/5/2013 के आधार पर नामान्तकरण खुलवाने, अन्यत्र हस्तान्तरण करने, बलात कब्जा करने से बाज रहे।

आवेदन दर्ज किया जाकर अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। संख्या एक जरिये वकील हाजिर आया संख्या 2 से 4 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अनावेदक संख्या एक ने जवाब पेश किया कि वादग्रस्त भूमिया ग्राम दांता में स्थित है। भूमियों का खातेदारान के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं होकर वादीगण, आवेदकगण तथा अनावेदक सं. एक आपसी बंटवारा करके अलग-अलग काबिज काश्त करते आ रहे हैं। अनावेदक सं. एक ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22/5/2013 से भूमि क्रय कर विक्रय पत्र के तहत पूर्ण प्रतिफल अदा कर शांतिपूर्ण काबिज हो गया है। अनावेदक संख्या एक को खरीद शुदा भूमि से आवेदकगण बेदखल करने की फिराक में हैं।

Sd/-
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़ (सीकर)

Scanned with CamScanner

इसलिए माननीय न्यायालय में उक्त ①

दावा व आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा पेश जवाब दाता अनावेदक संस्था एवं के हुए निर्णय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण कार्यवाही करवाने हेतु माननीय न्यायालय से एक पक्षीय स्थगन प्राप्त कर लिया है अतः अनावेदक एक संस्था इन्हें को बेदखल करने पर आमादा है कानून एक रिकॉर्डेड नतीजा खातेदार को अपना एक हिस्सा बेचान करने, रहन रखने, हस्तान्तरण करने का पूर्ण एक अधिकार है जिसके आधार पर अनावेदक जवाब दाता को प्रतिबंधित करवाने का आवेदकगण को कोई एक अधिकार नहीं है। अतः आवेदकगण का आवेदन मय हर्जा खर्चा खारीज किया जावे।

बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई/ दोनों ने बहस अभिभाषक आवेदकगण ने आवेदन में अंकित तथ्यों को तथा वकील अनावेदक ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। हमने बहस पर गौर किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। पक्षकारान के मध्य हक एवं अधिकार तो मूल दावा में तय होने हैं आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा के हेतु तीन बिन्दु ① प्रथम दृष्टया मामला ② सुविधा का संतुलन ③ अपूरणीय क्षति पर विचार किया जाना है।

जारी
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)

Scanned with CamScanner

① प्रथम दृष्टया प्रकरण :- जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 के अनुसार विवादित भूमि में अप्रार्थीगण तथा पवन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रमोद कुमार के नाम सहखातेदारी अंकित है। विक्रय पत्र दिनांक 29/5/2013 के अनुसार विक्रेतागण पवन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रमोद कुमार पुत्रगण नन्दलाल (नाबालिग प्रदीप कुमार, प्रमोद कुमार की तरफ से संरक्षिका प्राकृतिक माता पूजा देवी धर्म पत्नि नन्दलाल कुमावत) ने अपनी खातेदारी हिस्सा 1/6 रकबा 0.6317 है० का बेचान मनोज कुमार पुत्र रामनिवास कुमावत को कर दिया है। विक्रय पत्र में अंकित इबारत के अनुसार प्रतिफल पूर्ण प्राप्त कर कब्जा क्रेता को संभला दिया है। बेचानकर्ता पवन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रमोद कुमार पुत्रगण नन्दलाल तथा नन्दलाल की पत्नी पूजा देवी जो कि विवादित भूमि के सहखातेदार है ने कोई आपत्ती पेश नहीं की तथा न ही आवेदन विक्रेतागण व पूजा देवी के द्वारा पेश किया गया है। चूंकि विक्रेतागण, सहखातेदारान के द्वारा आवेदन पेश नहीं किया गया तथा न ही इनको पक्षकार बनाया गया है। प्रथम दृष्टया मामला आवेदकगण के पक्ष में साबित नहीं है।

② सुविधा का संतुलन ③ अपूर्तनीय क्षति:-

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़ (सीकर)

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है
भूमि के से हिस्सा 1/6 भूमि अप्रार्थी नं.
के खातेदारान द्वारा दिनांक 29/5/2013 जरिये
रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनावेदक संख्या को
बेचान किया गया है। विक्रय पत्र की इबारत
के अनुसार विक्रेताओं ने प्रतिफल प्राप्त कर
कब्जा संभला दिया है। क्रेतागण विवादित
भूमि के सहखातेदार है। रिकॉर्ड खातेदार को
अपनी खातेदारी भूमि को हस्तान्तरण का पूर्ण
अधिकार है। विक्रय की गई भूमि न तो आवेदन-
प्रस्तुतकर्तागण की है तथा न ही आवेदन में
विक्रेताओं, सहखातेदारान को पक्षकार बनाया
गया है। चूंकि विक्रय की गई भूमि से आवेदन-
कर्ताओं का कोई संबन्ध सरोकार नहीं
है। अतः सुविधा का संतुलन तथा अपूर्तनीय
क्षति भी आवेदन कर्ता को नहीं है। ये
तीनों बिन्दु भी आवेदनकर्ता के पक्ष में साबित
नहीं है। क्रेता अनावेदक संख्या द्वारा भूमि
प्रतिफल अदा कर क्रय की है। एक खातेदार
को ऐसी परिस्थिति में जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा
से पाबन्द किया जाना हम न्यायोचित
नहीं मानते।

जागीर
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार

Scanned with CamScanner

पर आवेदन आवेदकगण के पक्ष मे साबित नहीं होने पर आवेदन आवेदकगण धारा 212 काश्तकारी अधिनियम (अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 ज़ा.) खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8-10-014 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

8-10-2014

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)

Scanned with CamScanner